(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी	: कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
प्रार्थना पत्र 6ए	: 26 / 2023 (12 / 87 / 2023)
तारीख रजू	: 22.09.2023 (26.07.2023)

उनवान

1. सरकार जरिये हरि प्रसाद, प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर नया जिला कोटपूतली बहरोड, राज0। – प्रार्थी

बनाम

1. रामोतार, उचित मूल्य दुकानदार बसई, तहसील बहरोड़ जिला अलवर नया जिला कोटपूतली बहरोड, राज0। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, केरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के तहत 537.75 लीटर केरोसीन एवं पिकअप नं० एचआर–66ए–5790 को राजसात करने बाबत ।

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार रसद, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी वकील श्री रणजीत मीणा उपस्थित।

निर्णय   दिनांक 03.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनाक 02.12.2016 को दिये गये निर्देश की अनुपालना में केरोसीन के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर प्रवर्तन स्टॉफ जांच हेतु मौके पर पुलिस थाना नीमराणा पर पहुंचा। पुलिस थाना नीमराणा के एस.एच.ओ. ने तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की। एस.एच.ओ नीमराणा द्वारा दी गई तहरीर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01 12.2016 को समय रात्रि 09:30 बजे केरोसीन की कालाबाजारी की सूचना पर एएसआई श्री जयकांत, कानिस्टेबिल विद्याधर–114, कानिस्टेबिल गजानंद–800, मय जीप सरकारी व चालक सोमदत्त नं० 309 के समय रात्रि 10:00 बजे मौजा बसई पहुंचा। जहा ग्रामीण एकत्रित थे व एक पिकअप नं० एचआर–66ए–5790 में तीन ड्रम केरोसीन का तेल राशन डीलर रामोतार के घर के बाहर सड़क पर भरा हुआ मिला। पिकअप मय 3 ड्रम केरोसीन को जांच हेतु थाना परिसर नीमराणा लाया गया। जांचदल द्वारा मौके पर थाना परिसर में खडी पिकअप नं० एचआर–66ए–5790 की जांच की गई। पिकअप में 1 ड्रम नीला 1 ड्रम हरा एवं 1 ड्रम आधा हरा एवं आधा सफेद पाया गया जिसमें प्रथम दृष्टया नीला केरोसीन प्रतीत हुआ। उक्त नीला केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड पर उपभोक्ताओं में वितरण किया जाता है जिसको बाजार में बेचने के लिए अवैध परिवहन किया जा रहा था। ड्रमों में उपलब्ध केरोसीन को मापने पर ड्रमों में केरासीन क्रमशः 180 लीटर, 180 लीटर एवं 180 लीटर कुल 540 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। तीनों ड्रमों से 750–750 लीटर के कॉंच की बोतलों में तीन सैम्पल लिये गये। डीलर रामोतार का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा केरोसीन (उपयोग पर निबंधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की स्पष्ट अवहेलना है जो दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण समस्त 537.75 लीटर केरोसीन को मय पिकअप न० एचआर–66ए–5790 को जब्त किया जाकर 537.75 लीटर केरोसीन तेल जिसको श्री किशन लाल योगी पुत्र श्री प्रहलाद योगी उचित मूल्य दुकानदार नीमराणा को एवं पिकअप नं० एचआर–66ए–5790 को थानाधिकारी नीमराणा को सुरक्षा

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

की दृष्टि से सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः उक्त 537.75 लीटर केरोसीन को मय पिकअप न० आर–66ए–5790 को राजसात करने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। विभागीय पैरोकार ने जप्त 537.75 लीटर केरोसीन को धारा–6 ए के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जांचदल द्वारा मौके पर थाना परिसर में खडी पिकअप नं० एचआर–66ए–5790 की जांच की गई। पिकअप में 1 ड्रम नीला 1 ड्रम हरा एवं 1 ड्रम आधा हरा एवं आधा सफेद पाया गया जिसमें प्रथम दृष्टया नीला केरोसीन प्रतीत हुआ। उक्त नीला केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड पर उपभोक्ताओं में वितरण किया जाता है जिसको बाजार में बेचने के लिए अवैध परिवहन किया जा रहा था। ड्रमों में उपलब्ध केरोसीन को मापने पर ड्रमों में केरासीन क्रमशः 180 लीटर, 180 लीटर एवं 180 लीटर कुल 540 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा केरोसीन (उपयोग पर निबंधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की स्पष्ट अवहेलना है जो दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण समस्त 537.75 लीटर केरोसीन को थानाधिकारी नीमराणा को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः उक्त 537.75 लीटर केरोसीन को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने के आदेश फरमावें।

5. वकील अप्रार्थी ने वकालतनामा पेश करते हुए प्रकरण में जप्त केरोसीन को राजसात करने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

6. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया तथा वकील अप्रार्थी के कथन को ध्यान में रखते हुए पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जप्ती दिनांक 02.12. 2016 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन करने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, केरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः जप्त 537.75 लीटर केरोसीन राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, केरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जप्त 537.75 लीटर केरोसीन को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्त 537.75 लीटर केरोसीन का निस्तारण कर निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़